



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखीड़े

SUSHIL B. PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (वित्त)

ASSISTANT REGISTRAR (FINANCE)

मोबाइल : + 91-8830142458

ई-मेल : sushilpakhide1828@gmail.com

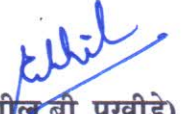
फा.क्र. 002/20-21/CEA/03(01)/ 17

दिनांक : 20.01.2021

परिपत्र

संतान शिक्षा भत्ता योजना के पात्र कर्मचारियों को अवगत किया जाता है कि वर्ष 2019-20 का संतान शिक्षा भत्ता (Children's Education Allowance) दावा निस्तारण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित है।

अतः कर्मचारियों से आग्रह है कि वर्ष 2019-20 का संतान शिक्षा भत्ता दावा दिनांक 19.03.2021 तक वित्त विभाग में प्रस्तुत करें, 19 मार्च 2021 के बाद प्राप्त होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।


(सुशील बी. पखीड़े)

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव महोदय के संज्ञानार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)
2. संबंधित पत्रावली।


21/01/21

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org